



दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

RNI NO - CHHHN/2018/76480

Postal Registration No-055/Raigarh DN CG

रायगढ़, बुधवार 22 मई 2024

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए

वर्ष-06, अंक- 234

महत्वपूर्ण एवं खास

राजस्थान: पूर्व मंत्री के घर पकड़ी बिजली चोरी, 1 लाख 25 हजार की पेनल्टी

झालावाड़ (आरएनएस)। पिड़ावा में पूर्व मंत्री नफीस अहमद ने घर पर बिजली नहीं आने की शिकायत की थी। इस घर मंत्री के घर पहुंचने अधिशासी अभियंता। लेकिन मंत्री जी को शिकायत करना तब भारी पड़ गया जब अधिशासी अभियंता ने उनके घर पर हो रही बिजली चोरी को ही पकड़ लिया और एक लाख 25 हजार की बिजली चोरी की वीसीआर भरकर बिजली कनेक्शन काट दिया। अधिशासी अभियंता, भवानी मंडी, जयपुर विद्युत वितरण निगम के शांभुनाथ ने मीडिया को बताया कि पूर्व मंत्री नफीस अहमद लगभग दो दिन से सुबह शाम मुझे फोन कर बिजली की शिकायत कर रहे थे। मैं उनकी शिकायत सुनने पिड़ावा में उनके घर पर गया तो देखा मंत्रीजी, बिजली की सर्विस लाइन में कट लगाकर अंधेध बिजली चोरी कर रहे थे। मौके पर वीसीआर भरकर 1 लाख 25 हजार की पेनल्टी निर्धारित की गई और मीटर हटाकर कनेक्शन काट दिया।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पैतृक जिले में दूषित पानी पीने से युवक की मौत, 48 बीमार

मैसूर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पैतृक जिले मैसूर में स्थित के. सलुंडी गांव में दूषित पानी पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 48 से अधिक लोग बीमार हो गए। मृतक की पहचान 24 वर्षीय कनकराज के रूप में हुई। तबीयत बिगड़ने पर उसे सोमवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई। बीमार पड़े अन्य 48 लोगों को इलाज एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को जिला आयुक्त और जिला स्वास्थ्य अधिकारी से मामले की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से जल प्रदूषण के कारण का पता लगाने और उचित उपाय करने को कहा। सीएम ने अधिकारियों को बीमार पड़े लोगों का समुचित इलाज सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया। जद(एस) विधायक जी.टी. देवेगौड़ा ने अस्पताल का दौरा किया और सरकार से पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग की।

पंजाब में आप को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए पूर्व एमएलए जगबीर सिंह बराड़

चंडीगढ़ (आरएनएस)। पंजाब में लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता रहे पूर्व विधायक जगबीर सिंह बराड़ ने मंगलवार को भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की मौजूदगी में जगबीर सिंह बराड़ ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बराड़ एक साल पहले ही शिरोमणि अकाली दल छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। तरुण चुग ने जगबीर सिंह बराड़ का पार्टी में स्वागत करते हुए सख्त समाज और पंजाब के लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए कामों को गिनाया। वहीं भाजपा में शामिल होने के बाद बराड़ ने पंजाब में भाजपा की मजबूती के लिए काम करने की बात कहते हुए आरोप लगाया कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार राज्य में कोई काम नहीं कर रही है और डबल इंजन की सरकार में ही पंजाब का विकास हो सकता है।

इंदौर से अशोकनगर जा रही बस पुलिया से नीचे गिरी, दो की मौत और 40 घायल

राजगढ़ | आरएनएस

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में यात्री बस अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे जा गिरी। इस हादसे में दो यात्रियों की मौत हो गई, वहीं 40 लोग घायल हुए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, इंदौर से अशोकनगर की ओर जा रही निजी यात्री बस आगरा-मुंबई हाईवे पर पंचोर के पास अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गई। इस हादसे में हरिओम और एक अन्य यात्री की मौत हुई है, जबकि 40 से अधिक यात्री घायल हुए हैं।

घायलों को शाजापुर और इंदौर उपचार के लिए रेफर किया गया है।

बताया गया है कि बस तेज रफ्तार से जा रही थी और उसका संतुलन बिगड़ गया। बस पुलिया से नीचे गिरी और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, साथ ही चीख पुकार भी सुनाई देने लगी।



पुलिस को जैसे ही इस हादसे की सूचना मिली, एक दल मौके पर पहुंचा, वहीं स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए।

राहत और बचाव कार्य चलाकर घायलों को विभिन्न अस्पतालों तक भेजा गया। यह हादसा जब हुआ तो मौके पर काफी अंधेरा था, मगर राहत और बचाव कार्य के चलते घायलों को सुरक्षित अस्पताल तक ले जाया गया।

एक यात्री ने बताया कि हम सभी गहरी नींद में थे और अचानक एक झटका सा

ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर तेज रफ्तार कार ट्राले में घुसी, कई लोग घायल

ग्रेटर नोएडा (आरएनएस)। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर मंगलवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पाकर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कार की बाँड़ी को काटकर घायलों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार, हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्राले में जा घुसी। कार काफी देर तक अंदर फंसी रही। इसके बाद मौके पर पहुंची दायरी पुलिस ने कड़ी मशकत के बाद कार की खिड़की और बाँड़ी काटकर घायलों को बाहर निकाला। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार की रफ्तार काफी ज्यादा रही होगी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी चेक कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

लगा और कुछ ही देर में नजर आया कि बस किसी गड्ढे में है।

थाना प्रभारी आकांक्षा शर्मा ने बताया कि इस हादसे में दो यात्रियों की मौत हुई है, जिनमें एक की पहचान कर ली गई है

और दूसरे की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। घायलों को पंचोर के अस्पताल ले जाया गया जहाँ प्राथमिक उपचार हुआ और 22 घायलों को शाजापुर के अलावा पांच गंभीर को इंदौर भेजा गया है।

बिहार के छपरा में गोली कांड के बाद दो दिनों के लिए इंटरनेट बंद, चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात

छपरा | आरएनएस

लोकसभा चुनाव के बीच बिहार में छपरा के भिखारी चौक पर हुए गोलीकांड के बाद एहतियात बरतते हुए प्रशासन ने जहां दो दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी है, वहीं चप्पे-चप्पे पर पुलिस बलों को तैनात कर दिया है। पुलिस की हर गतिविधि पर पैनी नजर है। वहीं, गोलीकांड में हमले में घायल गुरुद्वय ने कहा, तीन लोगों को गोली लगी है, जिसमें से एक की मौत हो गई है।

पुलिस ने इस मामले में बीजेपी नेता रमाकांत सिंह सोलंकी को हिरासत में लिया है। बता दें कि छपरा के भिखारी चौक पर मंगलवार सुबह दो गड़ों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें एक की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए पटना भेज दिया गया है, जिसे मिलने खुद रोहिणी आचार्य पहुंचीं।



वहीं, स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब हम वो दुकान नहीं खोलेंगे। बताया जा रहा है कि यह गोलीबारी बीजेपी और आरजेडी समर्थकों के बीच हुई। कई दफा गोलियां चलाई गईं यहाँ पर सोमवार मतदान हुआ, इस दौरान बूथ संख्या 118 पर तनाव देखने को मिला था। अब मंगलवार सुबह गोलीबारी हुई। मौके पर मौजूद लोग इस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं।

छपरा के एसपी गौरव मंगला ने कहा, सोमवार को मतदान के दौरान विवाद हुआ था। इसके बाद मंगलवार को बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच यह गोलीकांड हुआ है। इस घटना में तीन लोगों को गोली लगी है, जिसमें एक की मौत हो गई और अन्य दो घायलों को उपचार के लिए पटना के पीएमसीएफ अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

स्वाति मालीवाल केस की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने बनाई एसआईटी, महिला अधिकारी एडिशनल डीसीपी अजिथा चिपियला करेंगी टीम को लीड

नई दिल्ली | आरएनएस

आप से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने एसआईटी गठित किया है। इस मामले की अब तक जांच कर रही उत्तरी जिले की एडिशनल डीसीपी अजिथा चिपियला ही एसआईटी की अगुवाई करेंगी। एसआईटी में अजिथा के अलावा तीन इंसपेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल हैं। इनमें सिविल लाइन थाने के एसएचओ भी हैं, जहां केस दर्ज है। एसआईटी की टीम समय-समय पर जांच रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को देगी।

बता दें कि एसआईटी इस मामले में हर लिंक को जोड़ने की कोशिश करेगी। सबसे पहले पुलिस विभव के मोबाइल डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश में है। वहीं,



पुलिस ने रविवार शाम को सीसीटीवी का डीवीआर जप्त किया था। इसके जरिए उसकी कोशिश है कि वो सीसीटीवी के ब्लैक फ्रेम को निकाल सकेगी। इससे पहले पुलिस ने मालीवाल से मारपीट के आरोपी को विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस बाद में विभव को सीएम हाउस की लंकर गई थी, जहां सीन रिक्रिएट किया गया। पुलिस विभव को उस ड्राइंग रूम में

भी लेकर पहुंची, जहां मालीवाल से मारपीट का आरोप है।

आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम आवास में उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने ये आरोप केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर लगाए हैं। पार्टी के नेता संजय सिंह ने बाद में बताया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना को संज्ञान में लिया है और वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। संजय सिंह ने बताया था कि स्वाति मालीवाल सोमवार को सीएम केजरीवाल से मिलने आई थीं। वो डॉइंग रूम में इंतजार कर रही थीं। तभी विभव कुमार वहां पहुंचे और उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता की।

इससे पहले सोमवार को दिल्ली पुलिस ने बताया था कि स्वाति मालीवाल सिविल लाइन्स थाने आई थीं और सीएम हाउस में मुख्यमंत्री केजरीवाल के पर्सनल स्टाफ के एक सदस्य पर मारपीट का आरोप लगाया था। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।

स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोपी विभव कुमार दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं। बीती 18 मई तो तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उन्हें शनिवार दोपहर को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में पूछाछा के बाद शाम 4.15 बजे अरेस्ट कर लिया गया था। तीस हजारी कोर्ट में उन्होंने अंतरिम जमानत याचिका भी दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।

शराब घोटाला : कोर्ट ने 31 मई तक बढ़ाई मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली | आरएनएस

दिल्ली हाईकोर्ट आज सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुनाने वाला है। उससे पहले ही उन्हें बड़ा झटका लगा है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी है। उनके साथ-साथ एक अन्य आरोपी की भी न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी गई है। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 31 मई को करेगा। मनीष सिसोदिया की हिरासत की अवधि आज खत्म होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था जहां कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को और 21 दिनों के लिए बढ़ा दिया।

बता दें कि शराब घोटाले में सिसोदिया को सबसे पहले सीबीआई

ने गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी पिछले साल यानी 26 फरवरी 2023 को हुई थी। इसके अगले ही महीने यानी 9 मार्च को इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। जमानत के लिए सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अर्जी लगाई, लेकिन उनकी याचिका लगातार खारिज होती गई।

26 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। इसके बाद चार माह को कोर्ट ने दो दिन और उनकी हिरासत बढ़ा दी। सात

मार्च को ईडी ने सिसोदिया से करीब छह घंटे तक पूछताछ की। वहीं, दूसरी बार पूछताछ के बाद ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए याचिका दाखिल की लेकिन निचली अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया लेकिन शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा। तीन मई को सिसोदिया जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने तीन जुलाई को भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद सिसोदिया चार अगस्त को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। शीर्ष अदालत ने सुनवाई की तारीख 5 सितंबर रखी। लेकिन उस दिन की

सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुनवाई टल गई। शीर्ष अदालत ने 30 अक्टूबर को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि सीबीआई और ईडी ने अगस्त 2022 को सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज किया था।

सिसोदिया ने मार्च 2024 में ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए दोबारा याचिका दाखिल की थी। 2 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने कहा था कि सिसोदिया के पास से ईडी को अब तक कुछ हाथ नहीं लगी है। जांच पूरा हुए 10 महीने से अधिक हो गए। श्रृंख को कोई सबूत नहीं मिला। इस दिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को पहले 6 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 6 अप्रैल को फिर मामले में सुनवाई हुई।

गैंगरेप कर बच्ची को जिंदा जलाने वाले दो भाइयों को कोर्ट ने सुनाई सजा-ए-मौत

जयपुर | आरएनएस

पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को भीलवाड़ा सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में दो भाइयों को मौत की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने मामले को दुर्लभ से दुर्लभतम मानते हुए शनिवार को दो भाई कालू और कान्हा को दोषी ठहराया था और सात अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद मृतका के माता-पिता ने कहा, हमें न्याय मिला। जिन सात आरोपियों को बरी किया गया, उनमें दोषियों की मां, बहन और पत्नियां शामिल हैं। अभियोजन पक्ष ने 43 गवाहों

को पेश किया। इनमें से 42 ने साक्ष्य का समर्थन किया।

विशेष लोक अभियोजक महावीर किशनवात ने कहा, मामले में 473 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई थी और 10 महीनों से सुनवाई चल रही थी। जांच तकलीन पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुंदर बिश्रोंई द्वारा की गई थी और एडीजी (अपराध) दिनेश एमएन और अजमेर रेंज आईजी लता मनोज ने मामले की निगरानी की थी।

पिछले साल दो अगस्त को अपने खेत में बकरियां चराने गई गिरडिया पंचायत की एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसे कोयले की भट्टी में जिंदा जला दिया गया था।

झुंझुनूं में शराब माफियाओं ने लाठियों से पीट-पीटकर युवक का किया मर्डर, मारपीट का वीडियो भी बनाया, आरोपी गिरफ्तार

झुंझुनूं | आरएनएस

झुंझुनूं में शराब माफियाओं ने एक युवक की लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। मारपीट का वीडियो भी बनाया गया। यह मामला झुंझुनूं के सूरजगढ़ थाना इलाके के गांव बलोदा का है। पुलिस के मुताबिक शराब के ठेके से जुड़े हुए लोगों को शक था कि गोशाला में काम करने वाला रामेश्वर वाल्मीकि(27) पुत्र हनुमान का संपर्क अवैध शराब बनाने वालों से है और वे रामेश्वर के जरिए उनका कारोबार खत्म करना चाहते हैं। इसी रंशिश में 14 मई की सुबह गोशाला से लौटकर रामेश्वर एक सवामणी के कार्यक्रम में जाने के लिए सुबह 11 बजे घर से निकला था। निकलते ही बदमाश कैप कर कार में उसे किडनेप कर एक हवेली में ले गए, जहां उसे बांधकर 6 घंटे तक उसके पैरों और शरीर पर जगह-जगह डंडे बरसाए। जमकर मारपीट की। वीडियो बनाया दो आरोपियों ने उसके हाथ और पैर पकड़े और तीसरे ने जमकर लाठियों बरसाईं। उसे कभी लिटाकर तो कभी लटकाकर पीटा गया।

बुरी तरह पीटाई के बाद रामेश्वर अचेत हो गया। कुछ देर में उसने दम तोड़ दिया। शाम 7 बजे आरोपी उसकी डेडबॉडी उसके घर पर के पास फेंककर फरार हो गए। सूचना

पर डीएसपी विकास धिंधवाल व थानाधिकारी सुखदेव सिंह मय जाबता मौके पर पहुंचे। डॉंग स्वचायड को भी बुलाया गया। यह भी बताया जा रहा है कि आरोपी रामेश्वर को हरियाणा के सतनाली में निजी अस्पताल भी लेकर गए थे। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने 16 मई को आरोपियों दीपेंद्र उर्फ चिट्टू, प्रवीण कुमार उर्फ पीके, सुभाष उर्फ चिट्टू, सतीश उर्फ सुख निवासी बलोदा, प्रवीण उर्फ बाबा निवासी उरीका थाना सूरजगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया। चार आरोपियों के खिलाफ पहले से मारपीट, आर्म्स एक्ट के कई मामले

दर्ज हैं। दीपेंद्र उर्फ चिट्टू सूरजगढ़ थाने का हिस्ट्रीशीटर है। रामेश्वर के बड़े भाई कालूराम ने 6 आरोपियों के खिलाफ सूरजगढ़ थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें चिट्टू पुत्र महावीर, पर्वत पुत्र पवन, सुखा, प्रवीण उरीका, चिट्टू सहित एक अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दी गई। इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को वारदात के 2 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। एक नाबालिग को डिटेन भी किया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि युवक के साथ मारपीट करते हुए इन आरोपियों ने वीडियो बनाए थे। घटना के दो वीडियो मंगलवार को सामने आए।

श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर : गर्भगृह में बाबा केदारनाथ के दर्शन फिर से शुरू, वीआईपी दर्शन फिलहाल रहेगा बंद

रुद्रप्रयाग | आरएनएस

केदारनाथ धाम में एक बार फिर से बाबा के गर्भगृह में दर्शन शुरू हो गया है। अब धाम पहुंचने वाले सभी भक्त मंदिर के गर्भगृह में दर्शन कर सकते हैं। वहीं, दूसरी ओर मंदिर में भक्तों की भीड़ को देखते हुए फिलहाल वीआईपी दर्शन बंद रहेगा। जो भक्त चार्टर्ड फ्लाइट से केदारनाथ पहुंचेंगे, वो वीआईपी गेट से अंदर जा सकते हैं। घोड़े-खच्चर, हेलीकाप्टर, डंडी-कंडी और पैदल पहुंचने वाले भक्त लाइन में लगकर ही दर्शन करेंगे। दरअसल, केदारनाथ धाम में



भक्तों का हजूम उमड़ रहा है। सोमवार को रिकॉर्ड 37 हजार से अधिक भक्तों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। अभी तक 3 लाख 20 हजार से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं जो कि एक नया कीर्तिमान है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए

मंदिर के गर्भगृह में दर्शन बंद कर दिए गए थे, लेकिन तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद मंदिर के गर्भगृह के दर्शन फिर से खोल दिए गए हैं। अब धाम पहुंचने वाले सभी भक्त बाबा केदार के गर्भगृह के दर्शन कर सकेंगे। हालांकि केदार धाम में अभी भी वीआईपी दर्शन बंद है। मंदिर समिति वीआईपी दर्शन खोलना चाहती थी, लेकिन केदारनाथ पंढा समाज के विरोध के कारण मंदिर समिति ने फिलहाल वीआईपी दर्शन पर रोक लगाया है। सभी भक्तों को लाइन में लगकर ही

बाबा केदार के दर्शन होंगे। दिन-प्रतिदिन धाम पहुंचने वाले भक्तों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। प्रत्येक दिन दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को जहां 34 हजार से अधिक लोगों ने दर्शन किए, वहीं सोमवार को यह आंकड़ा 37 हजार पर हो गया। अब कुछ दिनों बाद स्कूली छुट्टियां पड़ने वाली हैं। ऐसे में धाम पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या में और अधिक इजाफा हो सकता है। केदारनाथ धाम में हेलीपैड से लेकर मंदिर तक यात्रियों की लंबी कतार लगी हुई है।